न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 26 सन 2019

अनवान :–

1. औमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. लालचन्द पुत्र बिरबल जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. साजन पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. लुणाराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्यलूएम तहसील रावतसर जिला हनुमनगढ।
3. मिश्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (फोत)
   3/1– अमरसिह 3/2 गोपीराम 3/3 भंवरीदेवी 3/4 मंजू 3/5 लिलावती 3/6 कलावती पुत्र/पुत्रीयान मिश्रीराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. नेतराम पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका चक हसराज मेधवाल का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. श्रवण पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका चक हसराज मेधवाल का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सूर्या पत्नी मनीराम जाति भोपा निवास ननाउ तहसील नोहर।
7. कृष्ण पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. प्रेम पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. रामा पुत्री पत्नी मालाराम पुत्र माडूराम जाति भोपा निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर
10. चुसा पुत्री मनीराम पत्नी रामस्वरूप पुत्र माडूराम जाति भोपा निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. सन्तो पुत्री मनीरा पत्नी जगरूप पुत्र माडूराम जाति भोपा निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 11/8/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 में 18 बीधा 19 बिश्वा ,व खसरा न0 663 की 25 बीधा तथा खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमनाराम पुत्र गुला भोपा की खातेदारी भूमि थी। चिमना के कुल बारह वारिस थे जिसमें बेगाराम , बिरबल, चेतनराम, नत्थुराम, साजन व मनीराम कुल छः लडके तथा दाखा, मोडी, पारी , केसर , सजना , अणची सहित कुल छः लडकीया थी चिमना के उक्त वारिसों में से साजन प्रतिवादी संख्या 1 व साजन व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 के अलावा सभी फोत हो चुके है जिनके वारिसान गेरसायलान दर्ज है इस प्रकार से चिमनाराम की उक्त भूमि में उसकी मृत्यू के बाद में उसके सभी उक्त बारह वारिसान बहिब के हकदार हुए यानि प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हुआ और बाद मृत्यू चिमनाराम इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी।

चिमनाराम की मृत्यू के बाद अमलामाल से साज बाज कर उक्त भूमि गैर कानुनी तरीके से उसकी दुसरी पत्नी सुगनी ने 1/4 हिस्सा व उसके पुत्रों साजन व मनीराम ने 1/2 हिस्सा तथा नत्थुराम के वारिसान ने 1/4 हिस्सा अपने नाम से दर्ज करवाली तथा उसके बाद उक्त भूमि का विभाजन कर उक्त खसरों में तरमीम नम्बर लगा कर खसरा न0 630/1 की 2.1620हैक व खसरा न0 663/2 की 1.6810हैक कुल 3.8430हैक भूमि गैरसायल न0 7 ता 12 के पिता व पति मनीराम ने गलत तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली है खसरा न0 630/2 व खसरा न0 663/1 की 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 साजन ने अपने नाम दर्ज करवाली तथा इसीप्रकार से खसरा न0 630/3 व 663/3 तथा खसरा न0 677

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल 3.8430हैक भूमि नत्थुराम के वारिसान गैरसायल न0 2 ता 6 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली जो कतई गलत व पोसिदा तौर पर दर्ज करवाई गयी है।

उक्त भूमि में गैरसायल न0 1 का 1/12 हिस्सा व गैरसायल न0 2 से 6 का 1/12 हिस्सा, गैरसायलान न0 7 से 12 का 1/12 हिस्सा व सायल न0 1 तथा उसके भाईयों दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 14 से 21 का 1/12 हिस्सा , तथा सायल न0 2 व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 से 32 का भी 1/12 हिस्सा इसीप्रकार दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 कस 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा , व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 तथा दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवाी संख्या 44 ,45 का 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 46 से 48 का 1/12 हिस्सा तथा दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मं दर्ज किया जाना चाहिये था तथा सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज है।

उक्त गलत ईन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर मिश्री गैरसायल न0 3 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दिनांक 18.10.2003 को बेयनामा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवा दिया जबकि काननुन मिश्री के हिस्सा में 1/36 हिस्सा यानी एक बीधा 5 बिश्वा भूमि ही आती है और उतनी ही भूमि बेचान करने का अधिकारी था इसलिये बैयनामा सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण के हको के मुकाबले शुन्य है।

सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 ता 12 को कई बार कहा की उक्त भूमि में सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा होना स्वीकार कर लेवे और राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा लेवे तो एवं चिमनाराम के वारिसान के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा देवे एवं मिश्री ने अपने हक से ज्यादा बेचान की गई भूमि को शुन्य मान लेवे लेकिन पहले तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये।

गैरसायलान दौराने दावा उक्त भूमि को रहन /बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है और मुकदमेंबाजी बढेगी।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 630/1 ,2 ,3 व खसरा न0 663/1 ,2 ,3 व खसरा न0 677 की भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ता 9 की और से श्री विजयसिह अधिवक्ता उपस्थित एवं शेष सम्मन/नोटिस तामिल होने पर भी उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई।

गैरसायल न0 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ता 9 के अधिवक्ता ने सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 की 18.19 बीधा व खसरा न0 663 की 25 बीधा , तथा खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमनाराम पुत्र मुलाराम के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी इसके अलावा हाल खसरा न0 449 की 1.3910हैक खसरा न0 450 की 3.2880हैक व खसरा न0 568 की 6.1970हैक व खसरा न0 581 की 0.0590हैक कुल 18.9700हैक अर्थात 72.08 बीधा कुल 128 बीधा भूमि चिमनाराम की नोतोड कर निकाली हुई भूमि थी जो उसने 72.08 बीधा अपने पुत्र बेगाराम के नाम से दर्ज करवाई थी तथा उक्त भूमि सयुक्त परिवार की भूमि थी और इस भूमि में चिमनाराम के चार पुत्रों बेगाराम , साजन, मनीराम , चिमनाराम की विधवा पत्नी सुगुनी पाचों का 1/5 हिस्सा था बेगारा चिमनाराम की पूर्व पत्नी से पुत्र था इसके अलावा चिमनाराम के पूर्व पत्नी से कोई सन्तान नही थी पूर्व पत्नी की मृत्यू के बाद चिमनाराम के दुबारा सुगनी से विवाह किया था जिससे उसके तीन पुत्र साजन , मनीराम व नत्थु ही हकदार थे।

चिमना की मृत्यू के बाद उसकी 45 बीधा 12 बिश्वा भूमि जो चिमनाराम के दर्ज यह उसकी विधवा पत्नी सुगुनी व उसके पुत्र साजन व मनीराम व नत्थुराम के नाम दर्ज हुई तथा शेष 72 बीधा 8 बिश्वा भूमि जो चिमनाराम ने सयुक्त परिवार की हैसियत से बेगाराम के नाम दर्ज करवा रखी थी में भी चिमनाराम के चार पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी का 1/5 हिस्सा था जो बेगाराम का 1/5 हिस्सा के हिस्सा से 25.12 बीधा छोडकर शेष भूमि उसके

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तीनों व उसकी विधवा पत्नी को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में बेगाराम व उसके वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही है।

प्रतिवादी मिश्री द्वारा अपने हक हिस्सा के अनुसार बेयनामा दिनांक 18.10.2003 को करवाया है तथा मिश्री को अपने हिस्सा का बेचान करने का पूरा अधिकार था बैयनामा साधिकार व कानुन सम्मत है वादीगण सायलान को शुन्य घोषित करवाने का अधिकार नही है मिश्री फोत हो चुका है उसके द्वारा फरोख्त भूमि खरीददार के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है एवं वाद व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है वाद ग्रस्त भूमि सायलान एवं तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है।

सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण वल्दियत बेगाराम को उसके पिता चिमनाराम ने अलग से 73 बीधा भूमि दे दी थी तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई लडका नही था ना ही बीरबल कभी ननाउ में आबाद रहे है ना ही उसका कोई मकान है तथा ना ही उनका कोई हक हिस्सा है वदग्रस्त भूमि चिमनाराम के पश्चात उसके तीन लडके मनीराम , साजन, व नत्थुराम के कब्जा काश्त में रही है अब मनीराम व नत्थुराम के वारिसान व साजन के कब्जा काश्त में है तथा नत्थु के वारिस मिश्री को अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रधुवीर को करवाया गया बैयनाम साधिकार है जिसके सम्बध में सायलान किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।

दावा व प्रार्थना पत्र में बीरबलराम की वल्दियत को चुनौती दी गई है तथा बीरबलराम के वारिसान का सिविल कोर्ट से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर कोई दावा लाने का अधिकार नही है तथा बेगाराम व वारिसान के पास पहले से 73 बीधा भूमि है जो चिमनाराम ने बेगाराम के नाम करवाई गई थी अब बेगाराम के वारिसान को शेष चिमनाराम की भूमि के बाबत दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा काननुन जारी नही की जा सकती है सायलान के अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु साबित नही होते है आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा सायलान क्लीन हैण्ड से भी न्यायालय में नही आये है वास्तविक तथ्यो को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हे अतः सायलयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 में 18 बीधा 19 बिश्वा ,व खसरा न0 663 की 25 बीधा तथा खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमनाराम पुत्र गुला भोपा की खातेदारी भूमि थी। चिमना के कुल बारह वारिस थे जिसमें बेगाराम , बिरबल, चेतनराम, नत्थुराम, साजन व मनीराम कुल छः लडके तथा दाखा, मोडी, पारी , केसर , सजना , अणची सहित कुल छः लडकीया थी चिमना के उक्त वारिसों में से साजन प्रतिवादी संख्या 1 व साजन व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 के अलावा सभी फोत हो चुके है जिनके वारिसान गेरसायलान दर्ज है इस प्रकार से चिमनाराम की उक्त भूमि में उसकी मृत्यू के बाद में उसके सभी उक्त बारह वारिसान बहिब के हकदार हुए यानि प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हुआ और बाद मृत्यू चिमनाराम इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी।

चिमनाराम की मृत्यू के बाद अमलामाल से साज बाज कर उक्त भूमि गैर कानुनी तरीके से उसकी दुसरी पत्नी सुगनी ने 1/4 हिस्सा व उसके पुत्रों साजन व मनीराम ने 1/2 हिस्सा तथा नत्थुराम के वारिसान ने 1/4 हिस्सा अपने नाम से दर्ज करवाली तथा उसके बाद उक्त भूमि का विभाजन कर उक्त खसरों में तरमीम नम्बर लगा कर खसरा न0 630/1 की 2.1620हैक व खसरा न0 663/2 की 1.6810हैक कुल 3.8430हैक भूमि गैरसायल न0 7 ता 12 के पिता व पति मनीराम ने गलत तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली है खसरा न0 630/2 व खसरा न0 663/1 की 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 साजन ने अपने नाम दर्ज करवाली तथा इसीप्रकार से खसरा न0 630/3 व 663/3 तथा खसरा न0 677 की कुल 3.8430हैक भूमि नत्थुराम के वारिसान गैरसायल न0 2 ता 6 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली जो कतई गलत व पोसिदा तौर पर दर्ज करवाई गयी है।

उक्त भूमि में गैरसायल न0 1 का 1/12 हिस्सा व गैरसायल न0 2 से 6 का 1/12 हिस्सा, गैरसायलान न0 7 से 12 का 1/12 हिस्सा व सायल न0 1 तथा उसके भाईयों दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 14 से 21 का 1/12 हिस्सा , तथा सायल न0 2 व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 से 32 का भी 1/12 हिस्सा इसीप्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 कस 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा , व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 तथा दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवाी संख्या 44 ,45 का 1/12 हिस्सा व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 46 से 48 का 1/12 हिस्सा तथा दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मं दर्ज किया जाना चाहिये था तथा सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज है।

उक्त गलत ईन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर मिश्री गैरसायल न0 3 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दिनांक 18.10.2003 को बेयनामा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवा दिया जबकि काननुन मिश्री के हिस्सा में 1/36 हिस्सा यानी एक बीधा 5 बिश्वा भूमि ही आती है और उतनी ही भूमि बेचान करने का अधिकारी था इसलिये बैयनामा सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण के हको के मुकाबले शुन्य है।

गैरसायलान दौराने दावा उक्त भूमि को रहन /बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है और मुकदमेंबाजी बढेगी।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 630/1 ,2 ,3 व खसरा न0 663/1 ,2 ,3 व खसरा न0 677 की भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 की 18.19 बीधा व खसरा न0 663 की 25 बीधा , तथा खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमनाराम पुत्र मुलाराम के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी इसके अलावा हाल खसरा न0 449 की 1.3910हैक खसरा न0 450 की 3.2880हैक व खसरा न0 568 की 6.1970हैक व खसरा न0 581 की 0.0590हैक कुल 18.9700हैक अर्थात 72.08 बीधा कुल 128 बीधा भूमि चिमनाराम की नोतोड कर निकाली हुई भूमि थी जो उसने 72.08 बीधा अपने पुत्र बेगाराम के नाम से दर्ज करवाई थी तथा उक्त भूमि सयुक्त परिवार की भूमि थी और इस भूमि में चिमनाराम के चार पुत्रों बेगाराम , साजन, मनीराम , चिमनाराम की विधवा पत्नी सुगुनी पाचों का 1/5 हिस्सा था बेगारा चिमनाराम की पूर्व पत्नी से पुत्र था इसके अलावा चिमनाराम के पूर्व पत्नी से कोई सन्तान नही थी पूर्व पत्नी की मृत्यू के बाद चिमनाराम के दुबारा सुगनी से विवाह किया था जिससे उसके तीन पुत्र साजन , मनीराम व नत्थु ही हकदार थे।

चिमना की मृत्यू के बाद उसकी 45 बीधा 12 बिश्वा भूमि जो चिमनाराम के दर्ज यह उसकी विधवा पत्नी सुगुनी व उसके पुत्र साजन व मनीराम व नत्थुराम के नाम दर्ज हुई तथा शेष 72 बीधा 8 बिश्वा भूमि जो चिमनाराम ने सयुक्त परिवार की हैसियत से बेगाराम के नाम दर्ज करवा रखी थी में भी चिमनाराम के चार पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी का 1/5 हिस्सा था जो बेगाराम का 1/5 हिस्सा के हिस्सा से 25.12 बीधा छोडकर शेष भूमि उसके तीनों व उसकी विधवा पत्नी को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में बेगाराम व उसके वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही है।

प्रतिवादी मिश्री द्वारा अपने हक हिस्सा के अनुसार बेयनामा दिनांक 18.10.2003 को करवाया है तथा मिश्री को अपने हिस्सा का बेचान करने का पूरा अधिकार था बैयनामा साधिकार व कानुन सम्मत है वादीगण सायलान को शुन्य घोषित करवाने का अधिकार नही है मिश्री फोत हो चुका है उसके द्वारा फरोख्त भूमि खरीददार के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है एवं वाद व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है वाद ग्रस्त भूमि सायलान एवं तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है।

सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण वल्दियत बेगाराम को उसके पिता चिमनाराम ने अलग से 73 बीधा भूमि दे दी थी तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई लडका नही था ना ही बीरबल कभी ननाउ में आबाद रहे है ना ही उसका कोई मकान है तथा ना ही उनका कोई हक हिस्सा है वदग्रस्त भूमि चिमनाराम के पश्चात उसके तीन लडके मनीराम , साजन, व नत्थुराम के कब्जा काश्त में रही है अब मनीराम व नत्थुराम के वारिसान व साजन के कब्जा काश्त में है तथा नत्थु के वारिस मिश्री को अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 3 रधुवीर को करवाया गया बैयनाम साधिकार है जिसके सम्बध में सायलान किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।

दावा व प्रार्थना पत्र में बीरबलराम की वल्दियत को चुनौती दी गई है तथा बीरबलराम के वारिसान का सिविल कोर्ट से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर कोई दावा लाने का अधिकार नही है तथा बेगाराम व वारिसान के पास पहले से 73 बीधा भूमि है जो चिमनाराम ने बेगाराम के नाम करवाई गई थी अब बेगाराम के वारिसान कों शेष चिमनाराम की भूमि के बाबत दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा काननुन जारी नही की जा सकती है सायलान के अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु साबित नही होते है आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा सायलान क्लीन हैण्ड से भी न्यायालय में नही आये है वास्तविक तथ्यो को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हे अतः सायलयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि गैरसायल न0 2 ता 5 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं वादी का अनुतोष पैतृक भूमि में गलत तोर से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सो को संशोधन करवाने का है।

वादी का अनुतोष परदादा के नाम खसरा न0 630 ,663 ,677 से सम्बधित है अर्थात पैतृक भूमि से संबधित है जो जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 से रोशन है उक्त दस्तावेजात से प्रतिवादीगण /गैरसायलान को भी ऐतराज नही है।

जबाब प्रार्थना पत्र में मुख्य ऐतराज पूर्वज चिमनाराम की सन्तानों में से बीरबल का चिमनाराम की सन्तान न होने का है इसके अतिरिक्त अन्य सन्तानों संबधी कोई तथ्य प्रकट नही किया गया है पत्रावली के सलंग्न सजना का शपथ पत्र जिसके अनुसार चिमना वल्द गुला के 12 वारिस होने बताए गये है अतः यह बिन्दु कि चिमनाराम के कितने वारिसान थे एवं किसका कितना हिस्सा बनता है यह तथ्य वाद में पर्याप्त साक्ष्य सबुतों के आधार पर होना है।

इसप्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पैतृक सम्पति एवं चिमनाराम की सन्तानो मे से बिरबल का चिमनाराम की सन्तान न होने एवं चिमनाराम के कुल कितनी सन्तान है यह सभी तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में प्रतीत होते है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि गैरसायल न0 2 ता 5 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है गैरसायल न0 2 ता 5 के नाम भूमि दर्ज होने के कारण वह कभी भी वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में पाया जाता है।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 477 व अप्रार्थी ने आरबीजे (25)2018 पेज 499 –503 ,आरआरडी 1992 पेज 532 ,640 , आरआरडी 1974 पेज 446 पेश किये गये है।

अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नजीर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने एवं भूमि आवंटन व आवंटित भूमि पर कब्जा साबित करने से संबधित है जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायलान के पक्ष में प्रतीत होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/8/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर